

**अनुदेश/Instructions :**

1. जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रपत्र में सभी पेंशन भोगी, जिसमें दो बच्चे भी शामिल हैं, द्वारा प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में जमा किया जाना चाहिए।/The Life Certificate should be furnished in the format by all the Pension beneficiaries including children pensioner every year in the month of November;
2. प्रत्येक पेंशन भोगी द्वारा अलग प्रमाण पत्र जमा करना चाहिए।/Separate Certificate should be given for each pensioner;
3. यह प्रमाण पत्र उस बैंक शाखा के प्रबन्धक, जहां से पेंशन संवितरित किया जाता हो, द्वारा दिया जा सकता है।/Certificate may be given by the Manager of the Bank by which the pension is disbursed;
4. पुनर्विवाह नहीं करने का प्रमाण पत्र विधुर द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाना है। विधवा पेंशनर को यह प्रमाण पत्र सिर्फ एक बार पेंशन शुरू होने के समय जमा करना है।/Certificate of Non-remarriage is to be furnished every year by widower pensioner only Widow Pensioner is to furnish it at the time of commencement of pension only.
5. प्रमाण पत्र दो प्रति में जमा किया जाना चाहिए।/This certificate should be furnished in duplicate.